

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ़ेशर /2021/ 227

दिनांक: 21 सितम्बर, 2021

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ़ेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ़ेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम/सहायक आचार्य	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चहाते है।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	नीरज श्रीमाली कुमार	वनस्पति शास्त्र	राजकीय बांसवाडा महा.	रिफ़ेशर	22.09.2021 से 05.10.2021	मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई
2.	ठण्डी लाल मीणा	अर्थशास्त्र	राज.कन्या लालसोट महा.	रिफ़ेशर	21.09.2021 से 05.10.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
3.	रवीन्द्र कुमार मीणा	हिन्दी	राज.कन्या सवाईमाधोपुर महा.	रिफ़ेशर	06.10.2021 से 20.10.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
4.	नीलम बरवड	वनस्पति शास्त्र	राज. कन्या भीलवाडा महा.	रिफ़ेशर	21.09.2021 से 05.10.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
5.	चेतन प्रकाश मीणा	अर्थशास्त्र	राज.कन्या बांदीकुई (दौसा) महा.	रिफ़ेशर	29.09.2021 से 13.10.2021	पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला
6.	हरदेव राम	वनस्पति शास्त्र	राज.महा.मेडता सिटी नागौर	रिफ़ेशर	20.09.2021 से 04.10.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

3. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

(डॉ सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)